राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3458/2025

अशोक कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.07.2025
आदेश की दिनांक : 29.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति 24.10.1978 को शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद पर हुई थी। प्रारंभिक नियुक्ति 13.10.1978 के आदेश द्वारा वेतनमान 890–20–810–25–1035 पर अस्थायी आधार पर की गई थी। (अनुलग्नक–1) जिसके अनुसरण में उन्होंने 24.10.1978 को कार्यभार ग्रहण किया। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित था। अपीलार्थी दिनांक 29.10.1981 को नियमित आधार पर आरपीएससी के माध्यम से चयनित हुआ, इस प्रकार दिनांक 24.10.1978 से 01.08.1981 तक तत्काल अस्थायी आधार पर प्रदान की गई सेवाएं जारी रहीं लेकिन इसके बाद लगभग 03 माह का अंतराल रहा। अपीलार्थी की सेवाएँ दिनांक 24.10.1978 से सेवा पुस्तिका में उपलब्ध अनुसार विधिवत सत्यापित हैं और आरपीएससी के माध्यम से चयन के बाद 31.10.2011 को उनकी सेवानिवृत्ति तक उनकी सेवा अवधि केवल 30 वर्ष 2 माह ही पूरी हो रही है, लेकिन यदि 24.10.1978 से 01.08.1981 तक की अवधि भी गिनी जाए तो यह कुल 33 वर्ष की होती है। जैसा कि श्री रणवीर सिंह बलवाड़ा के मामले में किया गया है, जो 31.10.2011 को शासकीय महाविद्यालय, नीम का थाना से सेवानिवृत्त हुए थे, सेवा की निरंतरता में लगभग 03 माह का विलंब भी क्षमा योग्य है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी ने भी अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई

ध्यान नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। (अनुलग्नक–5) कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत अग्रेषित किया गया था, अपीलार्थी ने अंततः 20.06.2023 के पत्र के माध्यम से कार्य करते हुए इसे अनसुना कर दिया है। अपीलार्थी के कामकाज का विवरण और 24.10.1978 से 29.08.1981 तक की अवधि के दौरान निरंतरता में अंतराल भी माँ जलपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारा नगर, चूरू के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया गया है। (अनुलगनक–6) अपीलार्थी का चयन आरपीएससी के माध्यम से 29.08.1981 को हुआ था, लेकिन आदेश कुछ देरी से जारी किए गए थे, इसलिए आदेश जारी करने में अंतराल अपीलार्थी के कारण नहीं था क्योंकि वह 24.10.1978 से 14.06.1979 तक जारी रहा, उसे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का वेतन भी दिया गया था, हालांकि, 15.08.1979 से 02.09.1979 तक 18 दिनों का अंतराल था, इसके बाद, 24.08.1979 को फिर से एक आदेश जारी किया गया जिसके अनुपालन में वह 03.09.1979 को शामिल हुआ और 12.07.1980 तक जारी रहा, इस प्रकार 13.07.1980 के बाद 14.10.1980 तक 92 दिनों का अंतराल भी था क्योंकि तत्काल अस्थायी आधार पर फिर से जारी रहने का आदेश जारी किया गया था 14.10.1980 से, वह 15.10.1980 से 30.05.1981 तक कार्यरत रहा और उसके बाद 26 दिनों का एक और अंतराल रहा क्योंकि अपीलार्थी को ग्रीष्मकालीन अवकाश के महीने का वेतन दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी को स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.10.1978 से आरपीएससी के माध्यम से उसके शामिल होने तक प्रदान की गई सेवाओं और इसे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, विशेष रूप से पेंशन योग्य सेवाओं के लिए, गणना में शामिल करने का आदेश दिए जावे और तदनुसार परिणामी लाभ, अपीलार्थी को उसके बकाया के साथ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रदान करने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए

न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य